

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 427]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2014—भाद्र 21, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2014

क्र. एफ-3-6-2008-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा श्री लखन लाल शुक्ला को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दिनांक 7 नवम्बर 2016 तक (70 वर्ष की आयु पूर्ण होने के कारण) के लिये संभागीय सतर्कता समिति, रीवा संभाग रीवा में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करता है.

No. F. 3-6-2008-One-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukt Evam Up-Lokayukt Adhiniyam, 1981 (No. 37 of 1981) the State Government on the recommendation of the Lokayukt, hereby appoint Shri Lakhan Lal Shukla as Chairperson in the Divisional Vigilance Committee, Rewa Division Rewa for the period till 7th November 2016 (completing 70 years of his age) from the date of Joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.